

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं. GCMS 2025/10

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 10/2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुभाषचंद्र पुत्र श्री प्रेम कुमार - (विक्रेता एवं मालिक)-
निवासी चक 2 ई छोटी, जेवी विहार, श्रीगंगानगर
मै. बालाजी मिल्क सेन्टर, साधु कोलोनी, शॉप नं. 10, 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय

दिनांक: 07.03.2025



संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक- संख्या प.5 (01) चिस्पा/ग्रुप- 3/ई-5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.07.2024 को समय 3.20 पी.एम बजे श्री सुभाषचन्द्र पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता व मालिक), मैसर्स-बालाजी मिल्क सेन्टर, साधु कालोनी, शॉप नं. -10,3 ई छोटी, श्रीगंगानगर, पर पहुँचे मोके पर विक्रेता श्री सुभाषचन्द्र पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय दे कर संस्थान पर रखे गाय का दूध के बारे में जानकारी चाही इस पर स्वयं को मालिक बताया व संस्थान के विल्लर में रखे लगभग 80 लीटर गाय का दूध को आमजन में बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से गाय का दूध नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुए वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व मेने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया गया और आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध गाय का दूध 2 लीटर विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा गाय का दूध का नगद भुगतान 90 रुपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहन को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुभाषचन्द्र पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहन ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं सुभाषचन्द्र पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता व मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ गाय का दूध 2 लीटर को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर 4 बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मलिन की 40 बूंदें डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के-2408 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं के-2408 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुभाषचन्द्र पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता एवं मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./925/Act/2024/925 Dated 05-08-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2408 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री सुभाषचंद्र पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता एवं मालिक) निवासी चक 2 ई छोटी, जेबी विहार, श्रीगंगानगर, मै. बालाजी मिल्क सेन्टर, साधु कोलोनी, शॉप नं. 10, 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का गाय का दूध विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 23.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी जे बी विहार चक 4 ई छोटी श्री गंगानगर तहसील वा जिला श्री गंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मैसर्स बाला जी मिल्क सेन्टर दुकान नम्बर 10 साधु कालोनी चक 3 ई छोटी श्री गंगानगर तहसील वा जिला श्री गंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 143/25 दिनांक 27-1-2025 का दिया है कि आपकी दुकान में गाय के दूध की जांच की गई तो गाय के दूध substandard Food पाया गया है प्रार्थी ने उक्त गाय के दूध में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण सं० 10/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर



स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया गाय का दूध का सैम्पल K-2408 स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./925/Act/2024/925 Dated 05-08-2024 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त गाय के दूध में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण सं० 10/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Cow Milk" bearing Code No and Sr. No. K-2408 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food** as it does not conform to the prescribed Standards of Food Safety and Standard [Food Product Standards and Food Aditives] Regulation 2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री सुभाषचंद्र पुत्र श्री प्रेम कुमार (विकेता एवं मालिक) निवासी चक 2 ई छोटी, जेबी विहार, श्रीगंगानगर, मै. बालाजी मिल्क सेन्टर, साधु कोलोनी, शॉप नं. 10, 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000-00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3
(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासक)
श्रीगंगानगर।